

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग

प्रलिस के ललतः

[वशष श्रेणी का दरजा, बिहार जातआधारत सरवेक्षण 2022, योजना आयोग, अनुचछेद 370, केंद्र परायोजतल योजना ।](#)

मेन्स के ललतः

वशष राज्य का दरजा, SCS की चुनौतलतलँ

[स्रोत: द हदुँ](#)

चरुा में कतुँ?

हलल ही में बिहार के [मुखतमंतुरी](#) ने केंद्र सरकार से राज्य को [वशष श्रेणी का दरजा](#) दतल जाने की लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहरलतल, जसलसे राज्य को केंद्र से मललने वलले [कर राजसव](#) में वृदुध होगी ।

बिहार वशष राज्य का दरजा (SCS) मांग कतुँ रहा है?

- ऐतहलसकल एवं संरचनातमक चुनौतलतलँ: बिहार को महत्त्वपूर्ण आरुथकल चुनौतलतलँ का सलमनल करना पड रहा है, जनलमें औदतुगकल वकलस का अलभाव एवं सीमलतल नवलश के अवसर शलमलल हैं ।
 - राज्य के वलभलजन के परणलमसवरूप उदतुग झलरखंड में स्थलनलंतरतल हो गल, जसलसे बिहार में रोजगलर एवं आरुथकल वकलस की सलसतुलतलँ में वृदुध हुँई है ।
- प्रलकृतकल आपदलतुँ: राज्य उत्तुरी कुषेतर में बलदुध तथल दकुषणल भलग में गंभीर सूखे जैसी प्रलकृतकल आपदलतुँ का सलमनल कर रहा है ।
 - इन आपदलतुँ की पुनरलवृत्तलसे [कुषणगतवलधलतलँ](#) बलधतल होती है, वशषकर सचलरल सुवलधलतुँ के मलमले में और सलथ जल आपूरतल भी अपरतुलत रहती है जसलसे [आजीवकल एवं आरुथकल स्थरलतल प्रलवलतल](#) होती है ।
- बुनतलदल दलँचे का अलभाव: बिहार का अपरतुलत बुनतलदल दलँचे राज्य के सलमगर वकलस में बलधल उत्तुपन्न करता है, जसलमें अवतुवस्थतल सडक नेटवरक, सीमलतल सुवलसुथतुल सेवा पहुँच एवं शैकुषणकल सुवलधलतुँ का अलभाव आदल चुनौतलतलँ शलमलल हैं ।
 - वरुष 2013 में केंद्र दवलरल गठतल [रघुरलम राजन सलमतल](#) ने बिहार को "अल्प वकलसतल श्रेणी" में रखल ।
- नरलधनतल तथल सलमलजकल वकलस: बिहार में [नरलधनतल दर](#) उचुच है तथल यहुँ बडुी संखतुल में परवलर गरीबी रेखल से नीचे रहते हैं ।
 - नीतल आतुग के एक हललतल सरवेकुषण से जलनकलरी प्रलपुत होती है कल बिहार, नरलधन राजतुँ की श्रेणी में शीरुष स्थलन पर है, जहुँ वरुष 2022-23 में बहुआतुलमी नरलधनतल 26.59% होंगे, जो रलषुदुरीय औसत 11.28% की तुलनल में अतुधकल है ।
 - बिहार की प्रतुवलतुतुलतुल GDP वरुष 2022-23 के लतुल रलषुदुरीय औसत 1,69,496 रुपए की तुलनल में मलतुर 60,000 रुपए है ।
 - राज्य वलभलनन [मलनव वकलस सुचकलतुँ](#) में भी कलफी पीछे है ।
- वकलस के लतुल वतुतलतुषण: SCS की मांग करना दूरघकललकल सलमलजकल-आरुथकल चुनौतलतलँ से नपलटने के लतुल केंद्र सरकार से परतुलतु वतुतलतुल सलहलतल प्रलपुत करने कल एक सलधन भी है ।
 - बिहार सरकार ने पछलले वरुष अनुमलन लगलतल थल कल वशष श्रेणी का दरजा दतल जाने से [राजतु](#) को पलँच वरुषों में 94 ललख करोड रुपए गरीब परवलरुँ के कलतुलण पर खरुच करने के लतुल अतरलकलत 2.5 ललख करोड रुपए प्रलपुत होंगे ।

बिहार को SCS मललने के वरलदुध कतुल तरक है?

- हलललँकल, कुछ आलुचकलँ कल तरक है कल बलदुध हुँई धनरलश खलरलब नीतलतलँ को प्रुतुसलहतल कर सकतुी है और अकुछल प्रदरुशन करने वलले राजतुँ को दंडतल कर सकतुी है, कतुँकल धनरलश को गरीब राजतुँ में भेज दतुल जलएगल ।
- बिहार में ऐतहलसकल रूप से [खरलब कलनून वतुवसुथल](#) वकलस और नवलश के लतुल एक बडुी बलधल रही है ।
- 14वें वतुतल आतुग के अनुसलर, केंद्र पहले से ही 32% करुँ के बजलतु 42% कर राजतुँ को हसुतलंतरतल कर रहा है । केंद्र के कुष पर कलई भी अतरलकलत दबलव संभलवतल रूप से अनुतु रलषुदुरीय जलनलतलँ और कलतुलणकलरी उतुलतुँ को प्रलवलतल करेगल ।

- **बिहार भारत में सबसे तेज़ी से विकास करने वाले राज्यों में से एक है** । 2022-23 में बिहार की सकल घरेलू उत्पाद में 10.6% की वृद्धि हुई, जो राष्ट्रीय औसत 7.2% से अधिक है ।
 - पिछले वर्ष वास्तविक रूप से प्रतियोगिता में 9.4% की वृद्धि हुई ।
- अधिक धनराशि से अल्पकालिक राहत मिल सकती है, लेकिन दीर्घकालिक विकास **शासन** और **निवेश** के माहौल में सुधार पर निर्भर करता है ।
- हालाँकि बिहार SCS के अनुदान के लिये अधिकांश मानदंडों को पूर्ण करता है, लेकिन **पहाड़ी इलाकों और भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है**, जैसे बुनियादी ढाँचे के विकास में कठिनाई का प्राथमिक कारण माना जाता है ।
- **केंद्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग** की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, जिसमें केंद्र को सफ़ाई की गई थी कि किसी भी राज्य को SCS नहीं दिया जाना चाहिये, बार-बार मांगों को अस्वीकार कर दिया है ।

अन्य राज्य जो SCS की मांग कर रहे हैं:

- 2014 में अपने विभाजन के बाद से **आंध्र प्रदेश** हैदराबाद के तेलंगाना में जाने से होने वाली राजस्व हानि के आधार पर विशेष राज्य का दर्ज़ा देने की मांग कर रहा है ।
- इसके अलावा ओडिशा भी **चक्रवात** जैसी प्राकृतिक आपदाओं और बड़ी **जनजातीय आबादी (लगभग 22%)** के प्रति अपनी संवेदनशीलता को उजागर करते हुए SCS का अनुरोध कर रहा है ।

विशेष श्रेणी का दर्ज़ा क्या है?

- **परिचय:**
 - विशेष श्रेणी का दर्ज़ा (SCS) केंद्र द्वारा भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों के विकास में सहायता के लिये प्रदान किया जाने वाला एक वर्गीकरण है ।
 - **संवधान SCS के लिये प्रावधान नहीं करता है** और यह वर्गीकरण बाद में 1969 में **पाँचवें वित्त आयोग** की सफ़ारिशों के आधार पर किया गया था ।
 - **प्रथमतः** वर्ष 1969 में **जम्मू-कश्मीर, असम और नगालैंड** को यह दर्ज़ा प्रदान किया गया था । **तेलंगाना** भारत का नवीनतम राज्य है जिससे यह दर्ज़ा प्राप्त हुआ है ।
 - **SCS, विशेष स्थिति से भिन्न है** जो कि उन्नत वधायी तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है, जबकि SCS केवल आर्थिक एवं वित्तीय पहलुओं से संबंधित है ।
 - उदाहरण के लिये **अनुच्छेद 370** के नरिस्त होने से पहले जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्ज़ा प्राप्त था ।
- **दर्ज़ा प्राप्त करने के मापदंड (गाइडलि सफ़ारिश पर आधारित):**
 - पहाड़ी इलाका
 - कम जनसंख्या घनत्व और/या **जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा**
 - पड़ोसी देशों के साथ **सीमाओं पर सामरिक स्थिति**
 - आर्थिक तथा **आधारभूत संरचना में पिछड़ापन**
 - **राज्य के वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति**
- **लाभ:**
 - **अन्य राज्यों के मामले में 60% या 75%** की तुलना में **केंद्र प्रायोजति योजना** में **आवश्यक नधि का 90%** विशेष श्रेणी के राज्यों को भुगतान किया जाता है, जबकि शेष नधि राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है ।
 - वित्तीय वर्ष में **अव्ययति नधि वियपगत नहीं होती है** और इसे आगे बढ़ाया जाता है ।
 - इन राज्यों को उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, आयकर एवं नगिम कर में महत्वपूर्ण रियायतें प्रदान की जाती हैं ।
 - केंद्र के सकल बजट का 30% विशेष श्रेणी के राज्यों को प्रदान किया जाता है ।
- **चुनौतियाँ:**
 - **संसाधन आवंटन:** SCS प्रदान करने के लिये राज्य को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना आवश्यक है, जो केंद्र सरकार के संसाधनों पर दबाव डाल सकता है ।
 - **केंद्रीय सहायता पर निर्भरता:** SCS प्रदान राज्य अमूमन केंद्रीय सहायता पर **अत्यधिक निर्भर** हो जाते हैं, जिससे **आत्मनिर्भर होने** और स्वतंत्र आर्थिक विकास रणनीतियों की दशा में उनके प्रयास हतोत्साहित होते हैं ।
 - **कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ:** SCS प्रदान किये जाने के बाद भी, प्रशासनिक अक्षमताओं, **भ्रष्टाचार** अथवा उचित नियोजन की कमी के कारण नधियों का **प्रभावी वधि से उपयोग** करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है ।

आगे की राह:

- नषिपकषता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के क्रम में SCS प्रदान करने के मानदंडों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है ।
- वर्ष 2013 में केंद्र सरकार द्वारा गठित **रघुराम राजन समिति** ने SCS के बजाय नधियों के हस्तांतरण के संदर्भ में 'बहु-आयामी सूचकांक' पर आधारित एक नई पद्धतिका सुझाव दिया, जिसके माध्यम से राज्य के **सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने पर पुनर्विचार** किया जा सकता है ।
- आत्मनिर्भरता के साथ आर्थिक विधिीकरण को बढ़ावा देने के क्रम में केंद्र सरकार पर राज्यों की **निर्भरता को कम करने वाली नीतियों** को

- लागू करना चाहिये। इसके साथ ही राज्यों के राजस्व स्रोत में वविधिता लाने पर बल देना चाहिये।
- वशिलेषकों का सुझाव है कि **सतत आर्थिक विकास** के लिये बहिर में वधि के शासन की आवश्यकता है।
 - राज्यों को व्यापक विकास योजनाएँ बनाने के क्रम में प्रोत्साहति करने हेतु **अन्य कदम उठाए जाने की आवश्यकता है जैसे:**
 - **शिक्षा में सुधार: प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास (ICDS केंद्र)**, शक्तिषक प्रशक्तिषण एवं शक्तिषण पदधति में सुधार पर ध्यान केंद्रति करने से संबंधति RTE फोरम की सफिराशियों पर ध्यान देने के साथ अधकि संवादात्मक तथा प्रौद्योगिकी आधारति दृष्टकिण अपनाना चाहिये।
 - **कौशल विकास एवं रोजगार सृजन:** बहिर के युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यवसायों को आकर्षति करने तथा रोजगार सृजन हेतु **SIPB (सगिल-वडि इनवेसटमेंट प्रमोशन बोर्ड)** जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के साथ-साथ संबंधति कौशल पहलों पर ध्यान केंद्रति कयिा जाना चाहिये।
 - **बुनयिादी ढाँचे का विकास:** समग्र विकास हेतु बेहतर बुनयिादी ढाँचे का होना बहुत आवश्यक है। **बाढ़ एवं सूखे** से नपिटने के लयि बेहतर सचिाई प्रणालयियों पर ध्यान केंद्रति करने के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क स्थापति करने, नविश आकर्षति करने तथा कृषि व्ियापार को बढ़ावा देने के लयि एक मज़बूत परविहन नेटवर्क वकिसति करना चाहिये।
 - **महिला सशक्तीकरण एवं सामाजकि समावेशन:** **लैंगकि समानता** एवं सामाजकि स्तरीकरण के संदर्भ में बहिर वभिन्नि चुनौतयियों का सामना कर रहा है। वधियियों के बेहतर प्रवर्तन एवं सामाजकि सद्भाव को बढ़ावा देने के साथ-साथ महिलाओं की **शक्तिषा, कौशल विकास** तथा **वतितीय समावेशन** पर ध्यान देना चाहिये।

दृष्टभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में राज्यों को वशिष श्रेणी का दर्ज़ा (SCS) देने के क्रम में आने वाली चुनौतयियों पर चर्चा कीजयि। ये चुनौतयिँ देश के राजकोषीय संघवाढ एवं विकास उद्देश्यों को कसि प्रकार प्रभावति करति हैं?

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

?????????:

Q. केंद्र और राज्यों के बीच वविादों का नरिणयन करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति कसिके अंतर्गत आति है। (2014)

- (a) सलाहकार क्षेत्राधकिार
- (b) अपीलीय क्षेत्राधकिार
- (c) मूल क्षेत्राधकिार
- (d) रटि क्षेत्राधकिार

उत्तर: (c)

?????????:

प्रश्न. क्षेत्रवाद की बढ़ति भावना अलग राज्य की मांग हेतु महत्त्वपूर्ण कारक है। चर्चा कीजयि। (2013)